

क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत मांड नदी पर 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरुद्ध आवेदक संस्थान मेसर्स मलका रिन्युएवल एनर्जी प्रा.लि. सिकंदराबाद द्वारा कवर्धा वनमंडल अंतर्गत रेंगाखार परिक्षेत्र के उपवृत्त रेंगाखार, परिसर मोहनटोला के अंतर्गत वनकक्ष क्रमांक पी-174 की सीमा से लगी हुई निम्नलिखित भूमि स्वामी की निजी भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया है :-

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	रा.नि.म.	तहसील	प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा एकड़ में	रकबा हेक्टेयर में
1	मेसर्स मलका रिन्युएवल एनर्जी प्रा.लि. सिकंदराबाद	गीधनखार	रेंगाखार	बोरला	47	145/1	-	1.811

क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित की जा रही उपरोक्त दर्शित निजी भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त है तथा इस भूमि में किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है।


परिक्षेत्र अधिकारी
(रेंगाखारमा)


वनमंडल अधिकारी
क्षेत्र वनमंडल, कवर्धा

क्षतिपूर्ति वनीकरण उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि धरमजयगढ़ वनमंडल अंतर्गत मांड नदी पर 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि के विरुद्ध आवेदक संस्थान मेसर्स मलका रिन्युएबल एनर्जी प्रा.लि. सिकंदराबाद द्वारा खैरागढ़ वनमंडल अंतर्गत सालहेवारा परिक्षेत्र के उपवृत्त कोपरो, परिसर कोपरो पश्चिम के अंतर्गत वनकक्ष क्रमांक पी-170 की सीमा के अन्दर स्थापित निम्नलिखित भूमि स्वामी की निजी भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया गया है :-

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	रा.नि.म.	तहसील	प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा एकड़ में	रकबा हेक्टेयर में
1	मेसर्स मलका रिन्युएबल एनर्जी प्रा.लि. सिकंदराबाद	ग्वालगुंडी	गंडई	छुईखदान	06	54/3	-	5.668

क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये प्रस्तावित की जा रही उपरोक्त दर्शित निजी भूमि में पूर्व से प्राकृतिक रूप से वन विद्यमान है जो बिखरी अवस्था में है तथा इसका घनत्व 0.4 तक है, जो बिगड़े वन की श्रेणी में आता है। वन प्रबंधन की दृष्टि से यह भूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य के लिये उपयुक्त है तथा इस भूमि में किसी भी प्रकार से अतिक्रमण नहीं है।


 वन मंडल अधिकारी
 खैरागढ़ वनमंडल खैरागढ़